न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय कोलगांव)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

अपील नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
01	4.6.19	27.11.21

उनवान

1.अमरचन्द पुत्र श्री भगवाना राम जाति जाटव निवासी ग्राम शेखपुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–अपीलांट:–

बनाम

1.ग्राम पंचायत कोलगांव जरियें सरपंच ग्राम पंचायत कोलगांव पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0

:–असल रेंस्पों:–

2.दौलतराम पुत्र श्री भगवानाराम कोम जाटव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

3.बनवारीलाल पुत्र श्री भगवानाराम कौम जाटव निवासी ग्राम शेखपुर तहसील जिला अलवर।

:–तर0 रेस्पोडेन्ट:–

अपील विरूद्व आज्ञा ग्रम पंचांयत कोलगावं पं.स.किशनगढबास नामांतकरण खातेदारी संख्या 1689 दिनांक 23.7.2012

:– निर्णय:–

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम पंचायत मुख्यालय कोलगांव पर पेश हुई। अपील के सुक्ष्म वर्तान्त निम्न प्रकार से है:–

ग्राम शेखपुर तहसील किशनगढबास में रामकिशन पुत्र जुम्मा जाति चमार तहसील किशनगढबास की भूमि ख0न0 778 रकबा 0.86 हे0, 779 रकबा 0.35हे0 किता दो 1.21 हे0 व 135 रकबा 0.39 हे0, 625 रकबा 0.40 हे0, 628 रकबा 0.13 हे0 किता तीन रकबा 0.92हे0 स्थित ग्राम शेखपुर तह0 किशनगढबास थी, जिसने अपनी स्वेच्छा से अपनी उपरोक्त आराजी ख0न0 778,779 के 1/2 में से 1/2 अर्थात कुल 1/4 भाग तथा 135, 625, 628 के 1/2 भाग को जर्ये रजि0 बयनामा क्रमांक 1202 दिनांक 09.04.12 को मिन अपीलान्ट व तर0 रेस्पो0 के हक में समान भाग में बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा आराजी दे दिया था। चूंकि अपीलांट व तर0 रेस्पो0 आपस में सगे भाई है, एक ही पिता की संताने है। जिन्होने आराजी दर्ज विक्रय पर को समान भाग में खरीद किया था और समान भाग में उक्त आराजी की प्रतिफल राशि अदा की थी। जिसका इंतकाल खातेदारी 1689 दिनांक 23.7.2012 को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बिना विक्रय पत्र को पढे जानबूझ कर अथवा सहवन से क्रेतागण के नाम दर्ज करते हुए रेस्पो0 असल के समक्ष वास्ते स्वीकार प्रस्तुत कर दिया और उक्त इंतकाल संख्या 1689 को असल रेस्पो0 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

भी सहवन से अथवा जानबूझ का बिना बयनामा को अवलोकन किये स्वीकार कर दिया। जबकि बेरोज खरीद से आराजी दर्ज इंतकाल सं0 1689 ग्राम शेखपुर पर हम खरीददार अपीलान्ट व तर0 रेस्पोडेन्ट समान भाग से काबिज है। काश्त करते चले आ रहे है। मोके पर आज भी कब्जा है विक्रय पत्र क्रमांक 1202 दिनांक 9.4.12 तीनो भाईयो के नाम समान भाग में पंजीकृत किया हुआ है और इंतकाल सं0 1689 का अंकन चौसाला जमाबन्दी में तर0रेस्पो0 समान भाग दौलतराम, बनवारीलाल के नाम अंकित कर दिया गया। जबकि विक्रय पत्र दि0 9.4.12 के आधार पर अपीलांट व तर0रेस्पो0 के नाम समान भाग में नामांतकरण दर्ज व स्वीकार होना चाहिए था मौजूदा जमाबन्दी के आधार पर अपीलान्ट ने अपनी खरीदशुद्वा आराजी पर केसीसी कार्ड जारी कराने हेतु हल्का पटवारी कोलगांव से दिनांक 14.5.19 को सम्पर्क कर नकल जमाबदी चाही तो हल्का पटवारी ने जानकारी दी कि आपका नाम उपरोक्त ख0न0 में दर्ज नही है। जिसपर उसी रोज अपीलान्ट ने इंतकाल सं0 1689 व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो समस्त कार्यवाही का ज्ञान हुआ। अपीलान्ट ने गांव जाकर तर0रेस्पो0से मूल बयनामा दिनांक 9.4.12 प्राप्त करके सलाह कानूनी हुए माननलय तहसीलदार किशनगढबास से सम्पर्क किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय में अपील दायर करके पुनः इंतकाल दर्ज करने की हिदायत दी। बिना देरी अपील दायर की जा रही है। अपीलांट की ओर से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट एवं तर रेस्पोडेट बयवक्त खरीद से आज दिनांक तक काबिज है। ऐसी सुरत में इंतकाल संख्या 1689 दिनांक 23.7.12 मंसूख फरमाया जाकर मुताबिंक बयनामा क्रमांक 1202 दिनांक 9.4.12 के आधार पुनः इंतकाल खातेदारी दर्ज वे स्वीकार कराया जाना न्यायोचित है।

अतः मिन अपिलांट एवं तर0रेस्पोडेट आराजी दर्ज इन्तकाल खातेदारी संख्या 1689 स्थित ग्राम शेखपुर के समान भाग के खरीददार काबिज खातेदारान बेरोज खरीद से काबिज है और मोके पर आज भी कब्जा है। इसलिये अपीलान्ट व तर0रेस्पो0 के हक में नामान्तकरण खातेदारी बाद जांच दर्ज वो स्वीकार कराया जान न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा असल रेस्पोडन्ट बाबत इन्तकाल खातेदारी सं0 1689 दिनांक 23.7.12 निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट व तर0रेस्पो0 के हक में आराजी ख0न0 778 रकबा 0.86 हे0, 779 रकबा 0.35हे0 किता दो 1.21 हे0 का 1/2 में से 1/2 भाग अर्थात कुल खाते का 1/4 भाग व 135 रकबा 0.39 हे0, 625 रकबा 0.40 हे0, 628 रकबा 0.13 हे0 किता तीन रकबा 0.92 हे0 का 1/2 भाग स्थित ग्राम शेखपुर तह0 किशनगढबास जिला अलवर का इन्तकाल खातेदारी मुताबिक रजि0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

बयनामा क्रमांक 1202 दिनांक 9.4.2012 समान भाग (1/3, 1/3) दर्ज वो स्वीकार कराये जाने की आज्ञा सादिर दी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पों0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया कोई उपस्थित नही हुआ। आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय कोलगांव पर पेश हुई। अपीलान्ट व असल रेस्पोडेट उपस्थित दोना को सुना गया गया। असल रेस्पोडेन्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार करने की सहमति दी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विक्रयपत्र कृषि भूमि दिनांक 9.4.12 के अवलोकन से साबित है कि विवादित आराजी अपीलांट व तर0 रेस्पोडेट की खरीदशुदा खातेदारी की आराजी है। जिसका इंतकाल खातेदारी 1689 दिनाक 23.7.12 केवल तर0रेस्पाडेट के हक में ही स्वीकार हो गया जबकि इंतकाल अपीलांट व तर0रेस्पोडेट के दर्ज होना चाहिए था पत्रावली में संलग्न इंतकाल से साबित होता है। अतः इंतकाल खातेदारी 1689 दिनांक 23.7.12 निरस्त किया जाकर पुनः अपीलान्द व तर0रेस्पोडेट के हक में नामांतकरण खातेदारी बाद जाच दर्ज वो स्वीकार कराया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोलगांव पंचायत समिति किशनगढबास द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 1689 दिनांक 23.7.12 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार किशनगढबास को प्रकरण पुनः प्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए गुणा अवगुण के आधार पर निर्णय पारित कर तदानुसार अमल दरामद करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद प्रविष्ट दाखिल लेख भण्डार हो। सरे आम सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)